रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 2008—मई 2, 2008 (वैशाख 6, 1930)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 2008—MAY 2, 2008 (VAISAKHA 6, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 287

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 399

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 457

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 3095

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 165

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1311

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 87

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 287

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 399

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 457

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 3095

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 165

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 1311

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 87

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खान मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2008

संकल्प

सं. 11(39)/2007-खान-1 जीएसआई के कार्यकरण की पूर्ण रूप से समीक्षा करने तथा संगठन की प्रौद्योगिकी एवं मानव शक्ति संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने की इसकी क्षमता का आकलन करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन करने से संबंधित दिनांक 7 जनवरी, 2008 के संकल्प संख्या -11(39)/2007-खान-1 में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार एतद्द्वारा एचपीसी की संरचना में संशोधन करती है। संशोधित संरचना निम्नानुसार होगी :

1.	श्री एस विजय कुमार, अपर सचिव खान मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	डा0 प्रीतम सिंह, मैनेजमेंट डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, गुड़गांव	सदस्य
3.	डा0 (श्रीमती) मालती गोयल पूर्व सलाहकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खान मंत्रालय (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	डा0 रसिक रवीन्द्र, निदेशक राष्ट्रीय अंटार्टिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा	सदस्य
6.	श्री एल.पी.सोनकर, सलाहकार (खनिज) योजना आयोग (योजना आयोग के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	डा0 नागेश सिंह, सलाहकार, पीएएमडी, योजना आयोग	सदस्य
8.	श्री आर.के.शर्मा, महासचिव फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (फिमी)	सदस्य
9.	डा0 पी.एन.राजदान,उप-महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ	सदस्य

10.	डा0 बलराम चट्टोपाध्याय, उप–महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,कोलकाता	सदस्य
11.	श्री इशराक अहमद, सलाहकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सहयोजित सदस्य
12.	डा0 के अय्यासामी, निदेशक (तकनीकी) खान मंत्रालय	सहयोजित सदस्य
13.	श्री सुरेश किशनानी, निदेशक , खान मंत्रालय	सदस्य सचिव

एचपीसी के विचारार्थ विषय तथा उनसे संबंधित प्रावधान वही रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को दी जाए।

एस. विजय कुमार
अपर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2008

संकल्प

सं. 3–6/2008–टी.एस.-V,--

माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय की विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिनांक 21 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III, धारा -4) प्रकाशित अधिसूचना संख्या 37-3/लीगल/2004 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालय विभागों में प्रवासी भारतीयों, विदेशी राष्ट्रिकों और भारतीय मूल के लोगों के इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और नगर आयोजना, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कलाओं, एम.बी.ए., एम.सी.ए., होटल प्रबंध और कैटरिंग प्रौद्योगिकी आदि में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिलों के संबंध में विस्तृत विनियम जारी किए हैं। इन विनियमों के तहत कुल सीटों का 15 प्रतिशत (अनुमोदित दाखिला क्षमता) को खाड़ी देशों में भारतीय कर्मचारियों के बच्चों सहित ऊपर उल्लिखित श्रेणियों हेतु अधिसंख्य आधार पर विभिन्न विषयों में आरक्षित किया गया है।

2. उपर्युक्त अधिसूचनाओं के मद्देनजर विदेशी राष्ट्रिकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की वर्तमान परिपाटी को समाप्त करने, समविश्वविद्यालयों अथवा सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं सहित स्ववित्त पोषित संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय विभागों में प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों आदि को अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर ऊपर उल्लिखित तकनीकी पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त श्रेणियों के छात्रों को भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई में ऐसे पाठ्यक्रम करने के लिए सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और उनका दाखिला समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना

द्वारा अभिशासित होगा। तथापि, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थानों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई का यह कर्त्तव्य होगा कि वे उक्त वर्ग के दाखिल छात्रों के ब्यौरे की सूची (देश-वार) जिसमें उनके पाठ्यक्रमों का विवरण, पासपोर्ट विवरण, लिए जाने वाले शुल्क एवं भारत में आवासीय पते को, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (तकनीकी अनुभाग-V), शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेज दें। यह सूची विदेश मंत्रालय(छात्र प्रकोष्ठ) अकबर भवन, नई दिल्ली के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह अधिसूचना पहले से ही दाखिल या शैक्षिक सत्र 2008-09 तथा इससे आगे से प्रभावी होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति इन्हें भेज दी जाए:

1. निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, कोझीकोड, लखनऊ, इंदौर एवं आर.जी. आई.आई.एम. शिलांग।
2. निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।
6. सभी भारतीय *विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों* के कुलपति।
7. सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक।
8. सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक।
9. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली।
10. विदेश में सभी भारतीय मिशन।
11. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
12. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रमुख सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प, सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कल्पना सिंह
उप-सचिव

2-3165/08

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 27th March 2008

RESOLUTION

No.11(39)/2007-M.I. In partial modification of the Resolution No. No.11(39)/2007-M.I dated 7th January, 2008, constituting a High Powered Committee (HPC) to thoroughly review the functioning of the Geological Survey of India (GSI), and assess its capacity to meet the emerging challenges taking into account the organisation's technological and manpower resources, the Government hereby modifies the composition of the HPC. The revised composition will be as under:

(i)	Shri S. Vijay Kumar, Additional Secretary, Ministry of Mines	- Chairman
(ii)	Dr. Pritam Singh, Professor of Eminence, Management Development Institute, Gurgaon	- Member
(iii)	Dr. (Mrs.) Malti Goel, Ex- Adviser, Ministry of Science & Technology	- Member
(iv)	Shri Sanjiv Mittal, Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Mines. (Representative of the Ministry of Finance)	- Member
(v)	Dr. Rasik Ravindra, Director, National Centre for Antarctic & Ocean Research, Goa.	- Member
(vi)	Shri L.P. Sonkar, Adviser (Minerals), Planning Commission (Representative of the Planning Commission)	- Member
(vii)	Dr. Nagesh Singh, Adviser, PAMD, Planning Commission.	- Member
(viii)	Shri R.K. Sharma, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)	- Member
(ix)	Dr. P.N. Razdan, Dy. Director General, Geological Survey of India, NR, Lucknow	- Member
(x)	Dr. Balaram Chattopadhyay, Dy. Director General, Geological Survey of India, Kolkata	- Member
(xi)	Shri Ishraq Ahmed, Adviser, Ministry of Science & Technology	- Co-opted Member
(xii)	Dr. K. Ayyasami, Director (Technical), Ministry of Mines	- Co-opted Member
(xiii)	Shri Suresh Kishnani, Director, Ministry of Mines.	- Member-Secretary

The terms of reference of the HPC and other provisions relating thereto will remain the same.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

S. VIJAY KUMAR
Additional Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th April 2008

RESOLUTION

No. 3-6/2008-TS-V.—

In pursuance of various judicial pronouncements of the Hon'ble Supreme Court of India, the All India Council for Technical Education (AICTE), vide Notification No.37-3/Legal/2004 dated 21st January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III Sec.4) on 26th February 2004, had issued detail regulations concerning admission of Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Nationals (FN) and persons of Indian Origin (PIO) etc in all institutions/University Departments approved by AICTE offering technical courses leading to Diploma, Degree and Post-Graduate Degree in Engineering & Technology, Architecture & Town Planning, Pharmacy, Applied Arts, MBA, MCA, Hotel Management & Catering Technology etc. Under these regulations, fifteen percent (15%) of seats (approved intake capacity) have been reserved across different disciplines on supernumerary basis for the above-mentioned categories of students including the children of Indian workers in the Gulf Countries.

2. In the light of the above notification, the question of doing away with the present practice of issuing **No Objection Certificate (NOC)** to the Foreign Nationals, NRIs, PIOs etc. for pursuing the above mentioned technical courses at under-graduate and post graduate level in Self-Financing Institutions or University Departments including Deemed Universities or Government funded Institutions was under consideration of the Government of India. After careful consideration, it has been decided that a NOC from the Government would no longer be required in respect of the above categories of students for pursuing such courses in Indian Institutes of Management (IIMs) and National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai and their admission shall be governed by the above notification as amended from time to time. However, it shall be duty of Directors, IIMs and NITIE, Mumbai admitting above categories of students, to furnish a complete list of admitted students (country wise) every year by 30th September, giving details of their courses, passport particulars, fee being charged and the residential addresses in India to the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, (Technical Section-V), Shastri Bhavan, New Delhi. This list should also be furnished to AICTE as well as to the Ministry of External Affairs (Students Cell), Akbar Bhavan, New Delhi. This would be applicable for admissions already made or to be made from the Academic Session 2008-2009 onwards.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to:-

1. Directors, Indian Institutes of Management (IIMs), Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Kozhikode, Lucknow. Indore and RGIIM, Shillong
2. Director, National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai,
3. All India Council for Technical Education, New Delhi.
4. University Grants Commission, New Delhi,
5. Association of Indian Universities, New Delhi,
6. Vice-Chancellors of all Indian Universities/Deemed Universities,
7. Directors of all Indian Institutes of Technology (IITs),
8. Directors of all National Institutes of Technology (NITs),
9. Indian Council for Cultural Relations, New Delhi,
10. All the Indian Missions abroad,
11. All the Ministries/Departments of the Government of India,
12. Chief Secretaries of all States & Union Territories.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

KALPANA SINGH
Deputy Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008